

Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

चिमन सिंह vs 4


बनाम

गोमसिंह vs 4

किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त धारा 212

प्रकरण नं. 188 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
13/8/18	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1905 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/9/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	
17/9/18	<p>वकूलाय अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 30/10/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मा.जं.</p>	
30/10/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से हास्त है/अमन पर है/बेडक में पधारें हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवन्दा दिनांक 02/11/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p>	
21/11/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से हास्त है/अमन पर है/बेडक में पधारें हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवन्दा दिनांक 21/11/18 को पेश हो। R.S.A ने पत्रावली पेश किया जो शामिल पत्रावली (मूल पत्रावली) है।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p>	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
13/8/19	<p>पतावली- आज पेश हुई। वकील प्रवीर उपाय वकील प्रवीर उपाय प्रपत्र/पुनरण को आगे नहीं चलाया जाये है तथा Not- प्रिजिस करने हेतु लिखित निवेदन किया है। वकील प्रवीर के निवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा वकील प्रवीर की लक्ष्मी के आधार पर एडवोकेट प्रकरण को Not- प्रिजिस में जारी किया जाता है। निवेदन में उक्त शर्तों को नकार ले जाते हैं। निवेदन पर इलाका आज दिनांक 13/8/19 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  सहीयकलकलेक्टर मोरीयाई जंक्शन </p>	<p>M/P 20/09 29</p>

